न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
46 / 2017	21.12.2017	22.01.2021

1. रामचन्द्र पुत्र हरलाल जाति अहीर निवासी मैनपुर की ढाणी तन मैनपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

—: प्रार्थीगण

बनाम

1. बिल्लूराम
2. भूरूराम पुत्रान दीपा उर्फ दीपचन्द जाति कुम्हार निवासी मैनपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
3. सन्ता पुत्री दीपा उर्फ दीपचन्द
4. संगो देवी पत्नी दीपा उर्फ दीपचन्द
5. शोभाराम पुत्र डालचन्द
6. गीता
7. चीना
8. रेखा पुत्रीयान डालचन्द
9. बिरेन्द्र सिंह
10. सुरेन्द्रसिंह पुत्रान हनुमान
11. बीनादेवी पत्नी हनुमान जातियान कुम्हार निवासीयान मैनपुर तहसील मुण्डावर।
12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: अप्रार्थीगण

13 अशोक कुमार
14 धर्मवीर
15 अतरसिंह पुत्रान दीनाराम जाति अहीर निवासी मैनपुर की ढाणी तन मैनपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: तर0 अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णयः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:03:58 IST
Reason: SelfAttested

2.2016

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :—
   1. यह है कि वाके ग्राम मैनपुर तहसील मुण्डावर में आराजी हाल [illegible] रकबा 1.19 है0 मिन प्रार्थी व तर0 अप्रार्थीगण की कब्जेकाश्त [illegible] स्थित है।
   2. यह है कि मिन प्रार्थी व तर0 अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 159 रकबा 1.19 है0 का आपसी तौर पर बहमी बंटवारा कर रखा है, जिसमें तरफ पश्चिम का 1/2 भाग मिन प्रार्थी के हिस्से व तरफ पूर्व का'तर0 अप्रार्थीगण के हिस्से आया हुआ है। इसी प्रकार मिन प्रार्थी व तर0 अप्रार्थीगण आराजी पर काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। नक्शा नजरी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

3. यह है कि उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 159 रकबा 1.19 है0 मे मिन प्रार्थी के हिस्से के साथ लगती हुयी आराजी ख0 न0 160 रकबा 0.89 है0, अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 11 की स्थित है, तथा अप्रार्थीगण सं 1 लगा0 11 की आराजी के साथ लगाता हुआ आम रास्ता स्थित है, तथा मिन प्रार्थी के हिस्से ,आयी आराजी में आने जाने के लिये कोई रिकोडेड रास्ता नही होने के कारण मिन प्रार्थी को अपनी आराजी में टैक्टर व अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने में परेशानी हो रही है।

4. यह है कि मिन प्रार्थी का उक्त आराजी खसरा नम्बर 159 में 1/2 भाग है तथा मिन प्रार्थी अपनी उक्त आराजी में अप्रार्थीगण स0 1 लगा0 11 की आराजी की पश्चिम डोल के साथ आम रास्ता से आवागमन करता है, लेकिन फसल के समय अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 11 जबरन मिन प्रार्थी का रास्ता बन्द कर देते है, जिससे मिन प्रार्थी को आराजी में आने जाने में बाधा पैदार हो जाती है। जिस पर हर बार इस बात को लेकर अप्रार्थीगण से झगडा फिसाद भी होता रहता है इसलिए आम रास्ता से ख0 नं0 160 के पश्चिमी डोल के साथ मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी तक रास्ता करीब 10 फुट चौडा नया रास्ता कायम किया जावे, जिसकी मिन प्रार्थी नियमानुसार राशि अदा करने या अपनी आराजी में से आराजी देने को तैयार है तथा इससे अन्य कोंई न्युनतम रास्ता नही है।

5. यह है कि मिन प्रार्थी को अपनी आराजी तक पहुचने वो वापिस आने में बडी रूकावट वा मुसीबत होती है, तथा अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 11 मिन प्रार्थी को आराजी में से आवागमन नही हरने देते है तथा अब दिनांक 29.11.2017 को आप्रार्थी सं0 1 लगा0 11 ने मिन प्राथ्री के रास्ता को बन्द कर दिया है तथा ऐलालिया तौर धमकी दी है कि हम तुम्हे आवागमन नही करने देगे। बस यही प्रार्थना पत्र हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र नया रास्ता कायम किये जाने हेतु पेश किया जा रहा है। इसलिए भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार बनाया है, परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ कार्यवाही करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा0दी0 दिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन फसल कटाई का समय होने के कारण प्रार्थना पत्र अर्जेन्ट नेचर का होने की वजह से नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु व बिना नोटिस दिये ही प्रार्थना पत्र पेश किये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जा0 फौ0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:03:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि –

(क). यह है कि मिन प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 159 रकबा 1.19 है0 चाक [illegible] तहसील मुण्डावर मे मिन प्रार्थी के हिस्से की आराजी में कृषि कार्य हेतु [illegible] के लिये आम रास्ता से 10 फुट चौडा नया रास्ता ख0 नं0 160 रकबा 0.89 है0 [illegible] पश्चिम डोल के साथ उत्तर से दक्षिण कायम कर, रास्ता घोषित किये जाने के आदेश फरवाये जाने का निवेदन किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। अप्रार्थी सं0 1, 2 10, 11 कि ओर से अधिवक्ता श्री अरूण पण्डित हुए। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब

१५६ उपखण्डाधिकारी मण्डावर (अलवर)

प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु रखा गया।

3. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74, नक्शा ट्रेस पेश किये गये।
4. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये।
5. तहसीलदार, मुण्डावर से मौका रिपोर्ट ली गई।
6. बहस वकूलाय सुनी गई।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

   ग्राम मैनपुर का खसरा नम्बर 159 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी ख0नं0 159 में आने–जाने के लिए ख0नं0 160 रकबा 0.89 है0 में से 10 फुट चौड़ा का रास्ता चाह रहा है। ख0नं0 160 में प्रार्थी स्वयं खातेदार नही है। ख0नं0 160 सडक से लगता है। ख0नं0 159 में पहुचने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ख0नं0 159 के चारो तरफ कोई कटानी सार्वजनिक रास्ता नहीं लगता है। ख0नं0 159 में आने–जाने के लिए एक मात्र रास्ता ख0नं0 160 में से ही उपलब्ध है।

   अप्रार्थीगण के तर्क रहे कि आराजी खसरा नम्बर 157 में 158 के नीचे रास्ता है खसरा नमबर 159 में पहुचने के लिए दो विकल्प है। खसरा नम्बर 160 के उपर ही रास्ता है। दोनो में से रास्ता नही बताए गये। खसरा नम्बर 158 में से रास्ता लिया जाना उचित है। तहसीलदार, मुण्डावर की रिपोर्ट है। जिसके अनुसार प्रार्थी के विवादित भूमि के लगते हुए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद, प्रचलित, कटानी नही है तथा न ही अन्य कोई रास्ता न्यूनतम दूरी पर है।

   समस्त तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि प्रार्थी ख0नं0 159 कृषि कर रहा है। जहां से सम्पूर्ण मौका स्थिति को देखने से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि, प्रार्थी के लिए इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से खसरा नम्बर 160 की पश्चिमी डोल पर उत्तर से दक्षिण दिशा में लम्बाई 422 फीट चौडाई 10 फीट का रास्ता ही एकमात्र न्यूनतम दूरी का, व्यवहारिक व सुविधाजनक रास्ता हो सकता है।

   मौके पर प्रार्थी के खेत हेतु साधन आने–जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत तक आने–जाने, फसल की जुताई–बुवाई–कटाई, उपज के विपणन हेतु चौपहया वाहन के आवागमन की आत्यान्तिक आवश्यकता रहती है। खसरा नम्बर 159 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए खसरा नम्बर 160 की उत्तरी सीमा से होकर कदीम से आता जाता है। रास्ता कटानी नहीं होने से प्रार्थी को नाजा[illegible] के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक [illegible] नहीं है। प्रार्थी ख0नं0 159 रकबा 1.19 है0 में 1/2 हिस्से का ख[illegible] चूंकि आ0ख0नं[illegible] रकबा 1.19 है0 बारानी 2 किस्म है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:03:58 IST
Reason: SelfAttested

8. न्यायालय का यह सम्यक समाधान है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया [illegible] मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि प्रार्थी की रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम मैनपुर, तहसील मुण्डावर स्थित भूमि खसरा नम्बर 160 रकबा 0.89 हैक0, मे से पश्चिम डोल पर उत्तर से दक्षिण दिशा के सहारे—सहारे 0.04 हैक0 भूमि लम्बाई के समानुपाति चौड़ाई में, प्रार्थी को प्रचलित सार्वजनिक रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 190 के उत्तर कोने तक आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते में अप्रार्थीगण कि आयी भूमि की डी.एल.सी दर से दो गुना राशि प्रार्थी से जमा करवाए जावे। जमा राशि को उक्त रास्ते में आई अप्रार्थी को आई भूमि के अनुपात के अनुसार वितरण कर रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में '' गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप मे दर्ज की जावे। रास्ते को नजरी नक्शा (परिशिष्ठ A) में ए से बी तक दिखाया गया है। परिशिष्ट—ए निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाए गए उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप मे, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कराया जावे। यह रास्ता समस्त प्रकार के ऋण, भार, प्रभार से मुक्त होगा। पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को लिखा जावे।

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

निर्णय आज दिनांक **22.01.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:03:58 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0